बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित।)

सोमवार, तिथि २४ मार्च, १९६९।

विषय-सूची। पृष्ठ

सदस्यों के लिए आवास का प्रबंध (क्रमशः) .. १—४

सदन के समय का परिवर्त्तन .. ४—७

अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

चीनी मिल के मालिकों द्वारा ईख का मूल्य देने में अमसुनी .. ७

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

विहिया प्रखंड (आरा) को अकाल क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद भी वहां ऋण की वसूली। ८—११

मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमावलियों का विधान-सभा के पटल पर रखा जाना। १२

वेतन की वृद्धि के लिए चौकीदार-दफादार का प्रदर्शन .. १२—१६

आय-व्ययक : अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान :

भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू) (क्रमशः) १६

कटौती प्रस्ताव :

भू-राजस्व की उपयोगिता (क्रमशः) १७-१८

सदस्यों के लिए आवास का प्रबंध (क्रमशः) .. .. १८—२१

तिथि १३ मार्च १९६९ को दर्शक दीर्घा से सदन में चप्पल फेंके जाने से उत्पन्न विशेषाधिकार के प्रश्न पर अध्यक्ष की घोषणा। २१—२८

आय-व्ययक : अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान :

भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू) (क्रमशः) .. . २८—४९

कटौती प्रस्ताव :

भू-राजस्व की उपयोगिता (क्रमशः) ४९-५०

सभी विश्वविद्यालय की सिनेट के लिए चुनाव के संबंध में घोषणा

पर हमारे क्षेत्र को खाक कर दिया गया है। यदि जनता को आगे बढ़ाने की भावना सरकार की है तो सामूहिक रूप से काम किया जाय तो अच्छा होगा। खासगित जमीन की समस्या विशाल रूप न धारण कर ले, इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सभी विश्वविद्यालयों की सिनेट के लिए चुनाव के संबंध में घोषणा।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य का समय हो गया, बैठ जायं, मुझे एक घोषणा करनी है।

घोषणा यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों के अनुरोध होने पर कि सभी विश्वविद्यालयों में उनके प्रतिनिधि जायं, समय कम रहने के कारण मैं घोषणा करना चाहता हूं कि इसका चुनाव २६ मार्च १९६९ को कर दिया जायेगा। मनोनयन पत्र १२ बजे दिन तक दाखिल कर दिया जायेगा, स्क्रूटनी २ बजे दिन को होगी।

श्री अनुपलाल यादव—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था। आपकी रूलिंग हुई थी कि गैरमजरूआ आम जमीन को बन्दोबस्त करने का अधिकार बिहार सरकार को है।

अध्यक्ष—यह गलत बात है। गैरमजरूआ आम जमीन सरकार या कोई आदमी बन्दोबस्त नहीं कर सकते हैं।

श्री अनुपलाल यादव—अभी राजस्व मंत्री सभा में मौजूद हैं। जो गरीब लोग गैरमजरूआ आम जमीन पर बसे हुए हैं. .....

अध्यक्ष—कौन राजस्व मंत्री अभी हैं, मैं नहीं जानता, मगर कोई भी हों, कानून वे नहीं बना सकते हैं, कानून हमको बनाना है।

श्री सुनील मुखर्जी—अध्यक्ष महोदय, आपने घोषणा की है विश्वविद्यालय की सिनेट के चुनाव के बारे में। मेरा निवेदन यह है कि सिनेट के चुनाव के नियम के बारे में मुझे खबर लगी है। वह यह है कि सिन्डीकेट के चुनाव के ६ रोज कबल नाम देना पड़ता है। सिन्डीकेट का चुनाव २ तारीख को होने वाला है। अगर आप उनसे अनुरोध करेंगे कि इस चुनाव को आगे बढ़ा दें तो यहां से जो चुनाकर सिनेट में जायेंगे वे भी सिन्डीकेट के चुनाव के लिए एलीजीबुल हो जायेंगे।

अध्यक्ष—आपका सुझाव ठीक है।

श्री सुनील मुखर्जी—आपके दफ्तर से यह भेजा जा सकता है कि सिन्डीकेट के चुनाव को अभी पोस्टपोन कर दिया जाय। आपके माध्यम से यह चीज उठायी जा

सकती हैं कि इसके चुनाव को दो चार दिन और आगे बढ़ा दिया जाय तो जो लोग यहां से चुनाकर जायेंगे वे उसके चुनाव में सफलीभूत हो सकते हैं यानी सिन्डीकेट के चनाव में ।

अध्यक्ष—यह सम्भव हैं ।

श्री विद्याकर कवि—विधान-सभा की तरफ से यह अनुरोध भेजा जा सकता हैं । वह एक ऑटोनोमस बडी हैं और उसके लिए वह समय निर्धारित कर चुका हैं ।

अध्यक्ष—इसका निर्णय हम पर छोड़ दिया जाय ।

श्री भुनेश्वर राय—पीछे जो सदस्य बैठे हुए हैं उन्हें भी बोलने के लिए समय दिया जाय ।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति । आपको समय मिलेगा, अभी हाउस देर तक चलेगी ।

आय-व्ययक : अनुपूरक अनुदानों की मांग पर मतदान :

भू-राजस्व (लेवरेवेन्यु)

कटौती प्रस्ताव : भू-राजस्व की उपयोगिता ।

श्री भोली प्रसाद मंडल—अध्यक्ष महोदय, इतना कम समय हमको बोलने के लिए दिया गया हैं जिसमें मैं सभी बातों को नहीं कह सकूंगा । फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा । द्वितीय अनुपूरक बजट के पृष्ठ ३७ पर देखा जाय । द्वितीय वर्ष १९६६-६७ और १९६७-६८ में राज्य में अच्छी फसल नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा उन्नत बीजों को क्रय कर किसानों के बीच वितरित किया गया । उक्त वित्तीय वर्ष में किए गए क्रय से सम्बन्धित बकाये बिलों के भुगतान हेतु चालू वर्ष में ५०.०० लाख रुपये की आवश्यकता हैं । चूंकि प्रस्तावित भुगतान की राशि बचत से प्राप्त होगी, अतः प्रतीक मत ही अपेक्षित हैं । मैं कहना चाहता हूं कि १९६६-६७ में बीज ५० लाख रुपये का खरीद किया गया जो मामूली रकम नहीं हैं और यह एक बहुत बड़ी रकम हैं । १९६७-६८ के बजट में इसका उपबन्ध नहीं हैं । उसके बाद १९६८-६९ के बजट में आपने रिभाइज्ड बजट नहीं किया फिर क्या वजह हैं कि द्वितीय अनुपूरक में आपने इसकी मांग की हैं और इसका जिक्र किया हैं । मैं समझता हूं कि आपने बीज की खरीदगी की और इसका वितरण भी किया । १९६६ में जो बीज आपने खरीदा उसकी पूर्ति आप आज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हैं ? यह युक्तिसंगत बात मालूम नहीं होती हैं । यह बहुत थोड़ी रकम हैं । यह रकम किसी खास व्यक्ति के घर से नहीं आती हैं । पांच करोड़ जनता के घर से यह रकम आती हैं इसलिए आपका ध्यान